रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2004/पौष 16, 1925
No. 16] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2004/PAUSA 16, 1925

## मंत्रिमण्डल सचिवालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2004

**का.आ. 17(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ इकहत्तरवां संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,—

(क) नियम 3 में, उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) विभागों में विषयों का वितरण ऐसा होगा जैसा इन नियमों की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और इसके अन्तर्गत सभी सहबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन, जिनमें उनके विषयों से संबंधित पब्लिक सेक्टर उपक्रम हैं तथा इस नियम के उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (4) भी हैं।";

(ख) प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"प्रथम अनुसूची

(नियम 2)

**मंत्रालय, विभाग, सचिवालय तथा कार्यालय**

1. कृषि मंत्रालय
   - (i) कृषि और सहकारिता विभाग
   - (ii) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
   - (iii) पशुपालन और डेरी विभाग
2. कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय
3. रसायन और उर्वरक मंत्रालय
   - (i) रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग
   - (ii) उर्वरक विभाग
4. नागर विमानन मंत्रालय
5. कोयला मंत्रालय
6. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
   - (i) वाणिज्य विभाग
   - (ii) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
7. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
   - (i) दूरसंचार विभाग
   - (ii) डाक विभाग
   - (iii) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

8. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(i) उपभोक्ता मामले विभाग
(ii) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

9. रक्षा मंत्रालय

(i) रक्षा विभाग
(ii) रक्षा उत्पादन विभाग
(iii) रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग

10. विनिवेश मंत्रालय

11. पर्यावरण और वन मंत्रालय

12. विदेश मंत्रालय

13. वित्त मंत्रालय

(i) आर्थिक कार्य विभाग
(ii) व्यय विभाग
(iii) राजस्व विभाग
(iv) कंपनी कार्य विभाग

14. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

15. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(i) स्वास्थ्य विभाग
(ii) परिवार कल्याण विभाग
(iii) आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग

16. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(i) भारी उद्योग विभाग
(ii) लोक उद्यम विभाग

17. गृह मंत्रालय

(i) आंतरिक सुरक्षा विभाग,
(ii) राज्य विभाग
(iii) राजभाषा विभाग
(iv) गृह विभाग
(v) जम्मू-कश्मीर कार्य विभाग
(vi) सीमा प्रबंधन विभाग

18. मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(i) प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग
(ii) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग
(iii) महिला और बाल विकास विभाग

19. सूचना और प्रसारण मंत्रालय

20. श्रम मंत्रालय

21. विधि और न्याय मंत्रालय

(i) विधि कार्य विभाग
(ii) विधायी विभाग
(iii) न्याय विभाग

22. खान मंत्रालय

23. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

24. संसदीय कार्य मंत्रालय

25. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(i) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
(ii) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
(iii) पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग

26. पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

27. योजना मंत्रालय

28. विद्युत मंत्रालय

29. रेल मंत्रालय

30. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

31. ग्रामीण विकास मंत्रालय

(i) ग्रामीण विकास विभाग
(ii) भूमि संसाधन विभाग
(iii) पेयजल पूर्ति विभाग

32. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
(ii) विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
(iii) बायोटेक्नालॉजी विभाग

33. पोत परिवहन मंत्रालय

34. लघु उद्योग मंत्रालय

35. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

36. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

37. इस्पात मंत्रालय

38. वस्त्र मंत्रालय

39. पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

(i) पर्यटन विभाग
(ii) संस्कृति विभाग

40. जनजातीय कार्य मंत्रालय

41. शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(i) शहरी विकास विभाग
(ii) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग

42. जल संसाधन मंत्रालय

43. युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

44. परमाणु ऊर्जा विभाग

45. महासागर विकास विभाग

46 अंतरिक्ष विभाग

47. मंत्रिमंडल सचिवालय

48. राष्ट्रपति सचिवालय

49. प्रधानमंत्री कार्यालय

50. योजना आयोग

51. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग

## द्वितीय अनुसूची
(नियम 3)
## विभागों में विषयों का वितरण

### कृषि मंत्रालय

क. कृषि और सहकारिता विभाग

भाग-I

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची I के अंतर्गत आते हैं:

1. अंतर्राष्ट्रीय कृषि संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के साथ संपर्क कोआपरेटिव फार अमेरिकन रिलीफ एवेरीव्हेयर (सी0ए0आर0ई0) के कृषि आदि से संबंधित माल का प्रबंध करना ।

2. कृषि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों तथा अन्य निकायों में भाग लेना और वहां पर किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन ।

3. टिड्डी नियंत्रण का अभिसमय ।

4. पादप करंतीन ।

5. वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, वहां तक जहां तक वे निम्नलिखित से संबद्ध हैं:

(क) कृषि उद्योग, जिसके अंतर्गत मशीनरी, उर्वरक और बीज है, किन्तु कपास, औटाई और दबाई नहीं है, इस परिसीमा के साथ कि उद्योगों, जिनके अंतर्गत मशीनरी और उर्वरक है, के विकास के बारे में कृषि और सहकारिता विभाग के कृत्य मांगों के आकलन और लक्ष्यों के नियतन से अधिक न हों ।

(ख) शल्क लाख उद्योग ।

6. कृषि गणना ।

7. प्राकृतिक विपत्तियों के कारण फसलों को हुए नुकसान संबंधी मामले ।

8. सूखे के कारण आवश्यक राहत उपायों का समन्वय ।

9. सूखे के कारण मानव जीवन को होने वाली हानि से संबंधित मामले ।

10. भारतीय जन प्राकृतिक आपदा न्यास ।

11. तिलहन व दलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन ।

## भाग- II

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची III के अंतर्गत है (केवल विधान की बाबत):

12. खाद्यपदार्थों से भिन्न कृषि उत्पादों का अपमिश्रण ।

13. आर्थिक योजना (कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी) ।

14. वृत्तियां (जिनके अंतर्गत पशु चिकित्सा व्यवसाय नहीं है) ।

15. वनस्पति को हानि पहुंचाने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोगों या नाशक जीवों के, जिनके अंतर्गत टिड्डियां भी है, एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण ।

16. खाद्यान्न, शर्करा, वनस्पति, तिलहनों, वनस्पति तेलों, खली और वसा, पटसन, रूई और चाय के सिवाय, कृषि वस्तुओं की कीमत का नियंत्रण ।

17. खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 (1983 का 35) का प्रशासन ।

## भाग- III

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त भाग I और भाग II में वर्णित विषय जहां तक वे इन राज्य की बाबत विद्यमान है, और इनके अतरिक्त, निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम की सूची II के अंतर्गत है:

18. कृषि (कृषि शिक्षा और गवेषणा से भिन्न) नाशक जीवों से रक्षा और पादप रोगों का निवारण ।

19. कृषि क्षेत्र में सहयोग, कृषि ऋण और ऋणग्रस्तता ।

20. कृषि उत्पाद के विपणन संबंधी सामान्य नीति जिसमें कीमत निर्धारण, निर्यात आदि सम्मिलित है ।

21. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मंडियों की स्थापना ।

22. कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) ।

23. बीमा (फसल) ।

24. सहकारिता के क्षेत्र में साधारण नीति और सभी सेक्टरों में सहकारिता, कियाकलापों का समन्वय ।

टिप्पणी: संबंधित मंत्रालय अपने-अपने क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के लिए उत्तरदायी है ।

25. राष्ट्रीय सहकारी संगठनों से संबंधित मामले ।

26. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ।

27. ऐसी सहकारी सोसाइटियों, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है, का निगमन, विनियमन और परिसमापन ।

28. सहकारी विभागों और सहकारी संस्थाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण (जिसमें सदस्यों, पदाधिकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों को शिक्षा सम्मिलित है) ।

## भाग- IV

## साधारण और पारिणामिक

29. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को आबंटित कार्यों की मदों के सिवाय, कृषि और सहबद्ध विषयों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता से संबंधित सभी मामले ।

30. कृषि और उद्यान कृषि ।

31. बायो एस्थेटिक योजना ।

32. कृषि उत्पादन-अधिक अन्न उपजाओ ।

33. भूमि पुनरूद्धार ।

34. कृषि और बागवानी के फसलोपरांत प्रबंधन हेतु अवसंरचना ।

35. राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड ।

36. कपास, पटसन और गन्ने का विकास ।

37. विकास कार्यक्रमों से संबद्ध मृदा सर्वेक्षण ।

38. राज्य भू-संरक्षण स्कीमों को वित्तीय सहायता ।

39. अखिल भारतीय, अंचल अथवा क्षेत्रीय स्तर पर उर्वरक और खाद मांगों का आकलन; अंचल या क्षेत्रवार लक्ष्यों का पोषणवार नियतन ।

40. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 का प्रशासन ।

41. राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशिष्टों की मानीटरी ।

42. कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) का प्रशासन ।

43. कृषि उपकरण और मशीनरी ।

44. देश में विस्तार शिक्षा और प्रशिक्षण का संगठन और विकास ।

45. फसल अभियान, फसल प्रतियोगिताएं और कृषक संगठन ।

46. तिलहनों का उत्पादन ।

47. भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त स्कीमें ।

48. यांत्रिक फार्म ।

49. जैविक खेती (विकास एवं संवर्धन सहित सभी मामले, परन्तु इसमें निर्यात के प्रयोजन हेतु जैविक खाद्य/उत्पादों के प्रमाणीकरण से संबंधित मामले सम्मिलित नहीं है) ।

50. ऑन-फार्म जल प्रबंधन ।

51. ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण, जिसमें ग्रामीण गोदाम भी है ।

52. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी सहबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन है किन्तु, इसमें कृषि विमानन निदेशालय सम्मिलित नहीं है ।

53. उर्वरकों का क्वालिटी नियंत्रण ।

## ख. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

### भाग- I

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची I के अंतर्गत है:

1. कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता, जिसके अंतर्गत विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा संस्थाओं और संगठनों के साथ संबंध भी है ।

2. मूल अनुप्रयुक्त और संक्रियात्मक अनुसंधान तथा उच्चतर शिक्षा जिसमें ऐसे अनुसंधान का समन्वय तथा कृषि, कृषि वानिकी, पशुपालन, डेरी, मछली पालन, कृषि अभियांत्रिकी और उद्यान, जिसके अंतर्गत कृषि सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं विपणन भी है, में उच्चतर शिक्षा सम्मिलित है ।

3. उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थाओं और वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थाओं में समन्वय और मानकों का अवधारण जहां तक उनका संबंध खाद्य तथा कृषि से है जिसमें पशुपालन, डेरी तथा मछली पालन भी सम्मिलित है । कृषि अनुसंधान/विस्तार तथा शिक्षा में मानव संसाधन का विकास ।

4. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और चाय, काफी और रबड़ संबंधी कार्यक्रमों से भिन्न वस्तु अनुसंधान कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए उपकर ।

5. गन्ना अनुसंधान ।

भाग- II

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त भाग I में वर्णित विषय जहां तक वे इन राज्य क्षेत्रों की बाबत विद्यमान है, और इनके अतिरिक्त, निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची II के अंतर्गत हैः

6. कृषि, शिक्षा और गवेषणा ।

भाग- III

साधारण और पारिणामिक

7. पादप, पशु और मछली प्रवर्तन तथा खोज ।

8. अनुसंधान प्रशिक्षण; सह-संबद्ध, वर्गीकरण, मृदा मानचित्रण और निर्वचन से संबंधित अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण ।

9. कृषि अनुसंधान और शैक्षिक स्कीमों तथा कार्यक्रमों की बाबत राज्य सरकारों और कृषि विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता ।

10. राष्ट्रीय निरूपण ।

11. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा इसके अंगीभूत संस्थानों, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, परियोजना निदेशालयों, ब्यूरो तथा अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाएं ।

## ग. पशुपालन और डेरी विभाग

भाग-I

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची I के अंतर्गत हैः

1. वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, वहां तक जहां तक उनका संबंध पशुधन, मछली और पक्षी-दाना

और डेरी, मुर्गीपालन, और मत्स्य उत्पादों के विकास से है, इस परिसीमा के साथ कि उद्योगों के विकास के संबंध में पशुपालन और डेरी विभाग के कृत्य, मांगों के आकलन और लक्ष्यों के नियतन से अधिक न हों ।

2. पशुधन, मुर्गीपालन और मछली पालन के विकास से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क और सहयोग ।

3. पशुधन गणना ।

4. पशुधन सांख्यिकी ।

5. प्राकृतिक विपत्तियों के कारण पशुधन को हुए नुकसान संबंधी मामले ।

6. पशुधन आयात का विनियमन, पशु करंतीन और प्रमाणीकरण ।

7. मछली पकड़ना और मछली पालन (अंतरदेशीय, सामुद्रिक तथा राज्यक्षेत्रीय सागर खंड के परे) ।

8. भारतीय मछली उद्योग सर्वेक्षण, मुंबई ।

## भाग- II

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III के अंतर्गत हैं, केवल विधान की बाबत:

9. पशु चिकित्सा व्यवसाय वृत्ति ।

10. पशुओं, मछलियों व पक्षियों को हानि पहुंचाने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोगों या नाशक जीवों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण ।

11. स्वदेशी प्रजातियों में परिवर्तन लाना; पशुधन की स्वदेशी प्रजातियों के लिए केन्द्रीय यूथ पंजी बनाना एवं उनका रखरखाव ।

12. राज्य अभिकरणों/सहकारी संघों के माध्यम से विभिन्न राज्य उपक्रमों, डेरी विकास स्कीमों को वित्तीय सहायता का स्वरूप ।

## भाग- III

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त भाग I और भाग II में वर्णित विषय जहां तक वे इन राज्य क्षेत्रों की बाबत विद्यमान हैं, और इनके अतिरिक्त निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के अंतर्गत आते हैं:

13. पशु नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा पशु, मछली और पक्षी रोगों का निवारण, पशु-चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय ।

14. प्रतिपाल्य अधिकरण ।

15. पशुधन, मछली और पक्षियों का बीमा ।

भाग IV

16. पशु उपयोग और वध से संबंधित मामले ।

17. चारा विकास ।

## कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

1. शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में ग्रामीण और कुटीर उद्योग, और बहुत छोटे/सूक्ष्म उद्यमों के विकास का समन्वय ।

2. सभी ग्रामीण उद्योगों से संबंधित मामलों का समन्वय ।

3. कयर उद्योग ।

4. कयर बोर्ड ।

5. प्रधानमंत्री रोजगार योजना (प्र0मं0रो0यो0) ।

6. खादी और ग्रामोद्योग आयोग ।

## रसायन और उर्वरक मंत्रालय

### क. रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग

1. औषधियां तथा फार्मास्यूटिकल्स, उनके सिवाय, जो अन्य विभागों को विनिर्दिष्टतया आबंटित की गई है ।

2. कीटनाशी (कीटनाशी अधिनियम, 1968)(1968 का 46) के प्रशासन के सिवाय)

3. शीरा ।

4. ऐल्कोहल-औद्योगिक और पेय, जिनका आधार शीरे पर हो ।

5. रंजक-द्रव्य और रंजक मध्यक ।

6. सभी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, जो किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित नहीं किए गए है ।

7. विभाग द्वारा व्यवहृत सभी उद्योगों की योजना, विकास तथा नियंत्रण, और सहायता ।

8. भोपाल गैस रिसाव विभीषिका - तत्संबंधी विशेष विधियां ।

9. पेट्रो-रसायन ।

10. सेलूलोज रहित संश्लिष्ट फाइबर (नायलान, पोलिएस्टर, एक्रिलिक, आदि) के उत्पादन से संबंधित उद्योग ।

11. संश्लिष्ट रबड़ ।

12. प्लास्टिक, जिसमें प्लास्टिकों की विरचना और प्लास्टिक की ढली हुई वस्तुएं शामिल है ।

ख. उर्वरक विभाग

1. उर्वरक उत्पादन के लिए परियोजना तैयार करना, जिसके अंतर्गत किसी अभिहित सरणीकरण अभिकरण के माध्यम से उर्वरकों का आयात भी है ।

2. कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार, यूरिया के संचलन और वितरण के लिए आबंटन और पूर्ति संपर्क ।

3. नियंत्रित और अनियंत्रित उर्वरकों के लिए रियायत योजनाओं का प्रशासन और सब्सिडी का प्रबंध, जिसके अंतर्गत यूरिया के प्रतिधारण मूल्य, अनियंत्रित उर्वरकों की रियायत की मात्रा, ऐसे उर्वरकों की लागत और फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों का मूल्य निर्धारण भी है ।

4. उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1960 का प्रशासन ।

5. सहकारिता क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन एककों, अर्थात्, इंडियन फारमर्स कोआपरेटिव लिमिटेड (इफ्को) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कृभको) के लिए प्रशासनिक उत्तरदायित्व ।

6. इंडियन पोटाश लिमिटेड (आई0पी0एल0) का प्रशासनिक उत्तरदायित्व ।

## नागर विमानन मंत्रालय

1. वायुयान और वायु दिक्चालन; हवाई-अड्डों की व्यवस्था; हवाई यातायात और हवाई-अड्डों का, वायु दिक्चालन से संबंधित स्वच्छता नियंत्रण के सिवाय, विनियमन और संगठन ।

2. दिक्चालन और वायु दिक्चालन से संबंधित अन्य सहायक सामग्री की व्यवस्था ।

3. वायुमार्ग से यात्रियों और माल का वहन ।

4. सिविल उपयोग के लिए वायुयान और वायुयान घटकों का उत्पादन ।

5. सिविल वायुयान के उपयोग के लिए तकनीकी अनुज्ञप्तियां/प्रमाणपत्र/अनुमोदन जारी करना ।

6. निजी विमान परिवहन (स्थोरा सहित) उद्योग ।

7. राज्य सरकारों, निजी/संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों द्वारा ग्रीन फील्ड विमान-पत्तन से संबंधित मामले ।

8. इंटरनेशनल सिविल एवियेशन आर्गेनाइजेशन (आई0सी0ए0ओ0) ।

9. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आई0ए0टी0ए0) ।

10. कामनवेल्थ एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल (सी0ए0टी0सी0) ।

11. कामनवेल्थ एडवाइजरी एरोनॉटीकल रिसर्च काउंसिल (सी0ए0ए0आर0सी0) ।

12. एयर इंडिया लिमिटेड और उसकी समनुषंगी ।

13. इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और उसकी समनुषंगी ।

14. भारतीय होटल निगम और उसकी समनुषंगी ।

15. रेल सुरक्षा आयोग ।

16. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा0वि0प्रा0) ।

17. पवन हंस हेलिकाप्टर्स लिमिटेड ।

18. नागर विमानन महानिदेशालय ।

19. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ।

20. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ।

21. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी से संबंधित संधियों और करारों का कार्यान्वयन ।

22. वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) का प्रशासन ।

23. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) का प्रशासन ।

## कोयला मंत्रालय

1. भारत में कोकिंग और नान-कोकिंग कोयले तथा लिग्नाइट के भंडारों की खोज और विकास ।

2. कोयले के उत्पादन, पूर्ति, वितरण और कीमतों से संबंधित सभी मामले ।

3. उनसे भिन्न, जिनके लिए इस्पात विभाग उत्तरदायी है, कोयला धोवनशालाओं का विकास और प्रचालन ।

4. कोयले का निम्न ताप पर कार्बनीकरण और कोयले से संश्लिष्ट तेल का उत्पादन ।

5. कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन ।

6. कोयला खान भविष्य निधि संगठन ।

7. कोयला खान कल्याण संगठन ।

8. कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन ।

9. कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) का प्रशासन ।

10. खानों से उत्पादित और प्रेषित कोक और कोयले पर उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण तथा बचाव निधि के प्रशासन के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अनुसार नियम ।

11. कोयला-धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन ।

12. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य संघ विधियों का प्रशासन जहां तक कि उक्त अधिनियम और विधियों का संबंध कोयला और लिग्नाइट और भरणार्थ बालू से है, इस प्रकार के प्रशासन से आनुषंगिक कारबार, जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न भी है ।

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

### क. वाणिज्य विभाग

#### I अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्यिक नीति जिसमें टैरिफ और टैरिफ-इतर अवरोध भी है ।

2. व्यापार नीति से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण (जैसे कि अंकटाड, ई.एस.सी.ए.पी., ई.सी.ए., ई.सी.एल.ए., ई.ई.सी., ई.एफ.टी.ए., गैट/डब्ल्यू.टी.ओ., आई.टी.सी. और सी.एफ.सी.)।

3. गेहूं, चीनी, जूट और कपास से संबंधित करारों से भिन्न, अंतर्राष्ट्रीय वस्तु करार ।

4. टैरिफ आयोग से संबंधित अवशिष्ट कार्य सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क टैरिफ ब्यूरो ।

#### II विदेश व्यापार (माल और सेवाएँ)

5. विदेश व्यापार से संबंधित सभी विषय ।

6. आयात और निर्यात व्यापार नीति और नियंत्रण, जिसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित नहीं है:

(क) कथा-चित्रों का आयात;

(ख) भारतीय फिल्मों का निर्यात, दीर्घ और लघु कथाचित्र दोनों; और

(ग) फिल्म उद्योग द्वारा अपेक्षित सिनेफिल्म (अनुभासित) और अन्य वस्तुओं का आयात और वितरण ।

## III राज्य व्यापार

7. राज्य व्यापार नीतियां तथा इस प्रयोजन के लिए स्थापित संगठनों का कार्य निष्पादन जिसमें निम्नलिखित भी है :

(क) हस्तशिल्प और हैन्डलूम निर्यात निगम तथा केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम के सिवाय, भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड तथा उसकी समनुषंगी; भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड और स्पाइसेज ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड;

(ख) प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीईसी);

(ग) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन और उसकी समनुषंगी;

(घ) खनिज और धातु व्यापार निगम तथा उसकी समनुषंगी;

8. बागान उपज, चाय, काफी, रबड़, मसाले, तंबाकू और काजू का उत्पादन, वितरण (देश में खपत और निर्यात के लिए) और विकास ।

9. देश में खपत और निर्यात के लिए इंस्टैंट चाय और इंस्टैंट काफी का संसाधन और वितरण।

10. (क) चाय बोर्ड ।
(ख) काफी बोर्ड ।
(ग) रबड़ बोर्ड ।
(घ) इलायची बोर्ड ।
(ङ) तम्बाकू बोर्ड ।

## IV शत्रु के साथ व्यापार : शत्रु संपत्ति

11. शत्रु के साथ व्यापार; शत्रु फर्में और शत्रु संपत्ति हानिपूर्ति (जर्मन औद्योगिक उपस्कर से भिन्न); शत्रु व्यापार नियंत्रक; शत्रु फर्मों के नियंत्रक; भारत के लिए शत्रु संपत्ति अभिरक्षक ।

## V भारतीय व्यापार सेवाओं का प्रबंध

12. भारतीय व्यापार सेवा का संवर्ग प्रबंध और इस सेवा के लिए प्रशिक्षण, वृत्ति योजना और जनशक्ति योजना से संबंधित सभी विषय ।

13. भारतीय पूर्ति सेवा का संवर्ग प्रबंध और इस सेवा के लिए प्रशिक्षण, वृत्ति योजना और जन शक्ति योजना से संबंधित सभी विषय ।

14. भारतीय निरीक्षण सेवा का संवर्ग प्रबंध और इस सेवा के लिए प्रशिक्षण, वृत्ति योजना और जन शक्ति योजना से संबंधित सभी विषय ।

## VI. विशेष आर्थिक परिक्षेत्र

15. विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों में विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों और यूनिटों के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण से संबंधित सभी मामले, जिनके अंतर्गत निर्यात और आयात नीति, राजवित्तीय व्यवस्था, विनिधान नीति, अन्य आर्थिक नीति और विनियामक ढांचा भी है ।

टिप्पण: वित्तीय प्रभावों वाली सभी राजवित्तीय रियायतों और नीतिगत विषयों पर विनिश्चय आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय) की सहमति से या जिसके न होने पर मंत्रिमंडल के अनुमोदन से किया जाता है ।

## VII. निर्यात उत्पाद और उद्योग एवं व्यापार को सुकर बनाना

16. निर्यात प्रसंस्करण परिक्षेत्रों/कृषि निर्यात परिक्षेत्रों तथा शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख ईकाइयों की स्थापना ।

17. रत्न एवं आभूषण ।

18. निर्यात संवर्धन बोर्ड, व्यापार बोर्ड और अंतराष्ट्रीय व्यापार सलाहकार समिति से संबंधित मामले ।

19. संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों/निर्यात संवर्धन संगठनों से संबंधित मामले ।

20. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान और भारतीय पैकेजिंग संस्थान ।

21. भारतीय हीरा संस्थान और फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान ।

22. निर्यात अवसंरचना के लिए समन्वय ।

23. सभी वस्तुओं, उत्पादों, विनिर्माताओं और अर्ध-विनिर्माताओं से संबंधित निर्यात उत्पाद का विकास और विस्तार जिसमें निम्नलिखित भी हैं :

(क) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) के अंतर्गत आने वाली कृषि उपज;

(ख) समुद्री उत्पाद;

(ग) औद्योगिक उत्पाद (इंजीनियरी माल, रसायन, प्लास्टिक, चमड़ा उत्पाद, आदि);

(घ) ईधन, खनिज और खनिज उत्पाद;

(ड.) विनिर्दिष्ट निर्यातोन्मुख उत्पाद (जिनमें बागान उपज, आदि तो आते हैं किन्तु पटसन उत्पाद और हस्तशिल्प नहीं आते हैं जो प्रत्यक्षत: इस विभाग के भारसाधन में हैं) ।

24. वे सभी संगठन और संस्थाएं, जो निर्यात उद्यम से संबंधित सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित हैं, जिनमें निम्नलिखित भी हैं :

(क) निर्यात साख और निर्यात बीमा जिसमें निर्यात साख और प्रत्याभूति निगम लि0 भी है।
(ख) निर्यात निरीक्षण परिषद; क्वालिटी नियंत्रण सहित मानक;
(ग) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय;
(घ) मुक्त व्यापार परिक्षेत्र ।

25. निर्यात उद्यमों को प्रोत्साहन और सहायता देने के लिए परियोजनाएं और कार्यक्रम ।

## VIII. सहबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय ।

26. विदेश व्यापार महानिदेशालय ।

27. पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली का प्रशासन ।

28. डाइरेक्ट्रेट जनरल ऑफ एन्टी-डम्पिंग एंड अलाइड ड्यूटीज और संबंधित मामले ।

29. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय ।

### IX. कानूनी निकाय

30. सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ।

31. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ।

### X- प्रकीर्ण

32. केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, जिनके अंतर्गत उनके सहबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय और संघ राज्य क्षेत्र भी हैं, के लिए सामग्रियों का क्रय और भण्डार निरीक्षण, उन मदों से भिन्न, जिनका क्रय और सामग्रियों का निरीक्षण किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्य प्राधिकरणों को प्रत्यायोजित किया गया है ।

## ख. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

### I. औद्योगिक नीति

1. साधारण औद्योगिक नीति ।

2. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) का प्रशासन ।

3. औद्योगिक प्रबंध ।

4. उद्योग में उत्पादकता ।

### II. उद्योग और औद्योगिक तथा तकनीकी विकास

5. सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा सहायता जिनमें किसी अन्य विभाग के अंतर्गत आने वाले उद्योग नहीं आते ।

6. नागर विमानन मंत्रालय तथा रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग के परामर्श से बनाए जाने वाले सिविल वायुयान के उत्पादन के लिए उद्योगों की स्थापना के लिए अनुज्ञप्तियां जारी करना ।

7. केबिल ।

8. हल्के इंजीनियरी उद्योग (उदाहरणार्थ सिलाई मशीनें, टाइपराइटर, तोलने की मशीनें, बाइसिकल आदि) ।

9. हल्के उद्योग (उदाहरणार्थ प्लाईवुड, लेखनसामग्री, दियासलाई, सिगरेट, आदि) ।

10. हल्के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी उद्योग ।

11. अप्रयुक्त फिल्में ।

12. हार्ड बोर्ड ।

13. कागज और अखबारी कागज ।

14. टायर और ट्यूब ।

15. नमक ।

16. सीमेंट ।

17. सिरेमिक्स, टाइल्स और कांच ।

18. चमड़ा और चमड़ा माल उद्योग ।

19. साबुन और अपमार्जक ।

20. तकनीकी विकास, जिसके अंतर्गत टैरिफ आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन भी है ।

21. औद्योगिक और सेवा परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी और अनिवासी भारतीय विनिधान ।

22. विदेशी विनिधान कार्यान्वयन प्राधिकरण (वि0वि0का0प्रा0)।

## III औद्योगिक सहकारिता

23. भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) और तद्धीन बनाए गए विनियमों का प्रशासन; केन्द्रीय बायलर बोर्ड ।

24. विस्फोटक - विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) और तद्धीन बनाए गए नियमों का प्रशासन, किन्तु विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) का नहीं ।

25. ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 20) ।

## IV. उद्योग तथा औद्योगिक तथा तकनीकी विकास

26. राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद ।

27. इंडियन रबड़ मैन्युफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई ।

## V. बौद्धिक संपदा अधिकारों (औद्योगिक संपदा) का संरक्षण

28. अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों और कच्ची सामग्री का मानकीकरण ।

29. डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) ।

30. व्यापार और पण्य चिह्न अधिनियम, 1958 (1958 का 43) ।

31. पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) ।

## VI. सामग्री योजना

32. उत्पादों के विशिष्ट समूहों और उपलभ्य क्षमताओं के संबंध में सेक्टरों, उद्योगों और बड़े एककों द्वारा की गई कच्चे माल की मांगों का समन्वित निर्धारण ।

33. माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48) ।

34. आयात प्रतिस्थापन की साध्यता का सम्यक ध्यान रखते हुए देशी कच्चे माल की उपलब्धता का निर्धारण ।

35. तालिकाओं के लिए सम्यक छूट का ध्यान रखते हुए कच्चे माल के आयात की आवश्यकताओं का निर्धारण ।

36. कच्चे माल के आबंटन के लिए सिद्धांतों, पूर्विकताओं और प्रक्रियाओं का अवधारण ।

37. सामग्री योजना से संबंधित सभी अन्य मामले ।

## संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

### क. दूरसंचार विभाग

1. तार, टेलीफोन, बेतार, आंकड़े, प्रतिकृति संबंधी और टेलीमेटिक सेवाओं के नीति, अनुज्ञापन और समन्वय संबंधी विषय तथा संचार के ऐसे ही अन्य रूप ।

2. दूरसंचार से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिनके अंतर्गत इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आई0टी0यू0), इसका रेडियो रेगुलेशन बोर्ड (आर0आर0बी0) रेडियो कम्युनिकेशन सेक्टर(आई0टी0यू0-आर), टेलीकम्युनिकेशन स्टेन्डर्डराइजेशन सेक्टर (आई0टी0यू0-टी0), डेवलपमेंट सेक्टर (आई0टी0यू0-डी), इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट आर्गेनाइजेशन (इंटलसेट), इंटरनेशनल मोबाइल सेटेलाइट आर्गेनाइजेशन (इनमारसैट), एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिकेशन (ए0पी0टी0) जैसे दूरसंचार के संबंध में कार्रवाई करने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबंधित मामले भी है।

3. दूरसंचार में मानकीकरण, अनुसंधान और विकास का संवर्धन ।

4. दूरसंचार में निजी निवेश का संवर्धन ।

5. दूरसंचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए तथा दूरसंचार कार्यक्रम के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए आर्थिक सहायता, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है :

(क) उच्च वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान के लिए संस्थाओं को सहायता, वैज्ञानिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को सहायता; और

(ख) शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्तियां और व्यक्तियों को अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति भी है जो दूरसंचार के क्षेत्र में अध्ययन के लिए विदेश जा रहे है ।

6. दूर-संचार विभाग द्वारा अपेक्षित सामग्री और उपस्कर की उपाप्ति

7. दूरसंचार आयोग ।

8. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ।

9. दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण ।

10. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले की बाबत विधि का प्रशासन, अर्थात् :

(क) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13);

(ख) भारतीय बेतार-तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17); और

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) ।

11. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ।

12. मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड से संबंधित पश्च विनिधान संबंधी विषय ।

13. भारत संचार निगम लिमिटेड ।

14. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ।

15. विदेश संचार निगम लिमिटेड और टेलीकम्यूनिकेशंस कंसल्टेंट्स (इन्डिया) लिमिटेड ।

16. टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) से संबंधित सभी मामले ।

17. तत्कालीन दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग से संबंधित अवशिष्ट कार्य, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित से संबंधित विषय भी है :

(क) समूह 'क' और अन्य प्रवर्गो के कार्मिकों के भारत संचार निगम लिमिटेड में उनके आमेलन तक काडर नियंत्रण कृत्य;

(ख) सेवांत प्रसुविधाओं का प्रशासन और संदाय ।

18. दूरसंचार से संबंधित पूंजीगत बजट के प्रति विकलनीय संकर्मो का निष्पादन और भूमि का क्रय और अर्जन ।

ख. डाक विभाग

1. डाक विभाग के पूंजी बजट के प्रति विकलनीय संकर्मों का निष्पादन, जिसके अंतर्गत भूमि का क्रय भी है ।

2. डाक, जिसके अंतर्गत डाकघर बचत बैंक (प्रशासन), डाकघर प्रमाण-पत्र (प्रशासन), डाकघर जीवन-बीमा निधि (प्रशासन), सार्वजनिक डाक टिकट/डाक स्टेशनरी सहित संस्मारक टिकट, प्रीमियम पोस्टल प्रोडक्ट्स का मुद्रण और कोई अभिकरण कृत्य भी है ।

3. डाक संचार से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिनके अंतर्गत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन (ए0पी0पी0यू), कामनवैल्थ पोस्टल यूनियन जैसे डाक संचार के संबंध में कार्रवाई करने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबंधित मामले भी है ।

4. डाकघर द्वारा सभी सेवाओं, जिनके अंतर्गत केबल, रेडियो और उपग्रह संचार चैनलों पर आधारित सेवाएं भी है, की पुर:स्थापना, विकास और अनुरक्षण से संबंधित मामले:

बशर्ते कि ये मामले प्रसारण, सीमित प्रसारण, केबल और रेडियो नेटवर्क सेवाओं से संबंधित न हों और भारतीय तार अधिनियम, 1885 और उसके अधीन बनाए गए नियमों से भी शासित न हों, और किसी अन्य विभाग को अनन्य रूप से आबंटित न किए गए हों ।

5. इस विभाग को आबंटित कार्यों के क्षेत्र में साध्यता सर्वेक्षण, अनुसंधान और विकास का संवर्धन।

6. भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 और तद्धीन बनाए गए नियमों एवं डाक कार्यों से संबंधित अन्य विधियों अथवा अधिनियमितियों जो विशिष्टतया, किसी अन्य विभाग को आबंटित न किए गए हों, के प्रशासन से संबंधित मामले ।

ग. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

1. सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतिगत मामले; इलैक्ट्रानिक्स; और इंटरनेट (इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अनुज्ञापन से भिन्न सभी मामले) ।

2. इन्टरनेट, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाओं का संवर्धन ।

3. ई-शासन, ई-कामर्स, ई-मेडीसिन, ई-इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि के संवर्धन में अन्य विभागों की सहायता ।

4. सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा का संवर्धन ।

5. साइबर कानूनों से संबंधित मामले, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कानून का प्रशासन ।

6. देश में सेमी-कंडक्टर डिवाइसिस के संवर्धन और विनिर्माण संबंधी मामले, जिनके अंतर्गत सेमीकंडक्टर कम्प्लेक्स लिमिटेड (एस.सी.एल) मोहाली से संबंधित सभी मामले भी हैं; अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 37)।

7. अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों और निकायों अर्थात् इंटरनेट फॉर विजनेस लिमिटेड (आईएफबी) इंस्टीट्यूट फॉर एज्यूकेशन इन इनफोर्मेशन सोसाइटी (आई0बी0आई) और इंटरनेशनल कोड काउंसिल-ऑन लाइन (आई.सी.सी.)के साथ सूचना प्रौद्योगिकी विषयक मामलों में पारस्परिक किया ।

8. डिजीटल डिवाइड पाटने के संबंध में पहल मीडिया लैब एशिया संबंधी मामले ।

9. सूचना प्रौद्योगिकी में मानकीकरण, परीक्षण और क्वालिटी का संवर्धन तथा सूचना प्रौद्योगिकी उपयोजन प्रक्रिया का मानकीकरण और कार्य ।

10. इलेक्ट्रानिक्स एक्सपोर्ट एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर प्रमोशन काउंसिल (ई.एस.सी.) ।

11. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) ।

12. ज्ञान आधारित उद्यमों सहित हार्डवेयर/साफ्टवेयर उद्योग के विकास के लिए पहल, सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातों तथा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता का संवर्धन करने के लिए उपाय ।

## उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

### क. उपभोक्ता मामले विभाग

1. आंतरिक व्यापार ।

2. अंतर्राज्यिक व्यापार : स्पिरिटयुक्त निर्मिति (अंतर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 (1955 का 39) ।

3. वायदा व्यापार का नियंत्रण : अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) ।

4. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) ( ऐसी आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, कीमतें और वितरण, जो किसी अन्य विभाग द्वारा विनिर्दिष्टत: व्यवहृत नहीं किया गया है) ।

5. चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7); उसके अधीन निरोध के अध्यधीन व्यक्ति ।

6. पैक की हुई वस्तुओं का विनियमन ।

7. विधिक माप-विज्ञान में प्रशिक्षण ।

8. संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1952 (1952 का 12) ।

9. बाट और माप मानक; बाट और माप-मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) ।

10. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) ।

11. वायदा बाजार आयोग ।

12. उपभोक्ता सहकारी समितियां ।

13. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की मानीटरिंग और उनकी उपलब्धता ।

14. राष्ट्रीय परीक्षण गृह ।

15. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) ।

## ख. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

1. खाद्य से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों और अन्य निकायों अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद, विश्व खाद्य परिषद्, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, खाद्य सुरक्षा संबंधी आयोग/समितियों में भाग लेना और लिए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन ।

2. विदेशों से संधि और करार करना तथा खाद्यान्नों और अन्य खाद्य पदार्थों में व्यापार एवं वाणिज्य के संबंध में विदेशों से की गई संधियों, करारों और अभिसमयों को कार्यान्वित करना ।

3. खाद्यान्नों, जिनमें शर्करा भी है, के भंडारण के लिए गोदामों को भाड़े पर लेना और अर्जित करना तथा खाद्यान्न गोदामों के संनिर्माण के लिए भूमि को पट्टे पर लेना या अर्जित करना ।

4. भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम से संबंधित मामले ।

5. सिविल आवश्यकताओं के लिए खाद्य-पदार्थों का क्रय और वितरण तथा सेना के लिए भी शर्करा, चावल और गेहूं का क्रय ।

6. खाद्यानों और अन्य खाद्य-पदार्थों, जिसके अंतर्गत शर्करा भी है, के संबंध में अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य ।

7. खाद्यानों का व्यापार और वाणिज्य तथा पूर्ति और वितरण ।

8. खाद्यानों से भिन्न, शर्करा और खाद्य पदार्थों का व्यापार और वाणिज्य तथा उत्पादन, पूर्ति और वितरण ।

9. शर्करा, खाद्यानों और खाद्य पदार्थों का कीमत नियंत्रण ।

10. सार्वजनिक वितरण प्रणाली ।

11. जहां तक कि खाद्यानों का संबंध है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) और चोर-बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7) ।

12. वनस्पति, तिलहन, वनस्पति तेलों, खली, वसा और शर्करा (जिसके अंतर्गत शर्करा खांडसारी का विकास भी है) से संबंधित उद्योग ।

13. वनस्पति, तिलहन, वनस्पति तेलों, खली, और वसा की कीमतों का नियंत्रण और उनमें अंतर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य और उनकी पूर्ति एवं वितरण ।

14. वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय ।

15. शर्करा निदेशालय, नई दिल्ली ।

16. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर ।

17. राष्ट्रीय शर्करा और गन्ना प्रौद्योगिकी संस्थान, मउ ।

18. शर्करा उद्योग विकास परिषद्, नई दिल्ली से संबंधित मामले ।

19. अंतर्राष्ट्रीय शर्करा परिषद् ।

20. शर्करा विकास निधि ।

## रक्षा मंत्रालय

### क. रक्षा विभाग

1. भारत की तथा उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, जिसके अंतर्गत रक्षा के लिए तैयारी तथा सारे ऐसे कार्य हैं, जो युद्धकाल में युद्ध को चलाने और उसकी समाप्ति के पश्चात सार्थक रूप से सैन्य-वियोजन में सहायक हों ।

2. संघ के सशस्त्र बल अर्थात् थल सेना, नौसेना और वायुसेना ।

3. रक्षा मंत्रालय का समेकित मुख्यालय, जिसके अंतर्गत सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय और डिफेंस स्टाफ मुख्यालय है ।

4. सेना, जलसेना और वायुसेना के रिजर्व ।

5. प्रादेशिक थलसेना ।

6. राष्ट्रीय कैडेट कोर ।

7. सेना, जलसेना और वायुसेना से संबंधित कार्य ।

8. रिमाउन्ट, पशु-चिकित्सा और फार्म संगठन ।

9. कैण्टीन भंडार विभाग (भारत) ।

10. सिविलयन सेवाएं जिनके लिए रक्षा प्राक्कलनों से संदाय किया जाता है ।

11. जल-राशि सर्वेक्षण और नौ-परिवहन संबंधी चार्ट तैयार करना ।

12. छावनियों का स्थापन, छावनी क्षेत्रों का परिसीमन/आच्छेदन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन, ऐसे क्षेत्रों के अंदर छावनी बोर्डों और प्राधिकरणों का गठन और उनकी शक्तियां तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह वासन का विनियमन (जिसके अंतर्गत किराए का नियंत्रण है) ।

13. रक्षा प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, अभिरक्षा और त्याग । रक्षा भूमि और संपत्ति से अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ।

14. भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित मामले, जिनके अंतर्गत पेंशनभोगी आते है ।

15. रक्षा लेखा विभाग ।

16. सैनिक आवश्यकताओं के लिए खाद्य सामग्रियों का क्रय और उनका व्ययन, उनको छोड़कर जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को सौंपे गए है ।

17. तट रक्षक संगठन से संबंधित सभी मामले, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित है:

(क) तेल बिखराव से बचने के लिए सामुद्रिक परिक्षेत्रों की निगरानी;

(ख) विभिन्न सामुद्रिक परिक्षेत्रों में तेल बिखराव की रोकथाम करना, सिवाय पत्तनों के जल, और अपतट खोज और उत्पादन प्लेटफार्मों, तटीय रिफाइनरियों और सिंगल बॉया मूरिंग (एस0बी0एम0), क्रूड ऑइल टर्मिनल (सी0ओ0टी0) और पाइपलाइनों जैसी संबद्ध सुविधाओं के 500 मीटर के भीतर के जलक्षेत्र के;

(ग) विभिन्न सामुद्रिक परिक्षेत्रों के तटीय और समुद्रीय पर्यावरण में तेल प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए केन्द्रीय समन्वय अभिकरण;

(घ) तेल बिखराव संबंधी विभीषिका के लिए राष्ट्रीय आकस्मिक योजना का कार्यान्वयन; और

(ड़) देश में, तेल बिखराव के निवारण और नियंत्रण, पोतों तथा अपतट प्लेटफार्मों के निरीक्षण का जिम्मा लेना, सिवाय पत्तनों की उन सीमाओं के भीतर, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) द्वारा सशक्त की गई हैं ।

18. देश में गोताखोरी और संबंद्ध क्रियाकलापों से संबंधित मामले ।

19. केवल रक्षा सेवाओं के लिए उपापन ।

20. निम्नलिखित का प्रशासन:

(क) सेना पेंशन विनियम, 1961 (भाग 1 और भाग 2);
(ख) वायुसेना पेंशन विनियम, 1961 (भाग 1 और भाग 2);
(ग) नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964; और
(घ) सशस्त्र बल कार्मिक दुर्घटना पेंशनिक अधिनिर्णय विषयक हकदारी नियम, 1982 ।

ख. रक्षा उत्पादन विभाग

1. आर्डनेंस कारखाना बोर्ड और आर्डनेंस कारखाने ।

2. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ।

3. भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ।

4. मझगांव डाक लिमिटेड ।

5. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ।

6. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ।

7. भारत डायनामिक्स लिमिटेड ।

8. मिश्र धातु निगम लिमिटेड ।

9. रक्षा गुणवत्ता आश्वासन संगठन, जिनके अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय तथा एरोनॉटिकल गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय भी है ।

10. रक्षा उपकरण तथा सामग्रियों का मानकीकरण, जिसके अंतर्गत मानकीकरण निदेशालय भी है ।

11. भारत अर्थ मुवर्स लिमिटेड ।

12. वैमानिकी उद्योग का विकास और उनसे भिन्न उपभोक्ताओं के बीच, जो नागर विमानन मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग से संबंधित है, समन्वय ।

13. रक्षा उपस्करों का स्वदेशीकरण, विकास और उत्पादन तथा रक्षा उपस्करों के विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी ।

14. रक्षा निर्यात और रक्षा उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ।

## ग. रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग

1. विज्ञान और टैक्नालोजी में हो रहे विकास का राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव के बारे में रक्षा मंत्री को जानकारी देना, मूल्यांकन करना और सलाह देना ।

2. रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं तथा अंत: सेना संगठनों को हथियारों, हथियार-प्लेटफार्मों, फौजी कार्रवाइयों, निगरानी, सहायता और सैन्यतंत्र (लाजिस्टिक), संघर्ष के सभी संभावित क्षेत्रों में सभी वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में सलाह देना ।

3. ऐसी प्रौद्योगिकी के अर्जन के बारे में, जिनका भारत में निर्यात विदेशी सरकारों के नियंत्रण के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, संबंधित विदेशी सरकारों के साथ करार लिखितों के संबंध में सभी विषयों पर रक्षा मंत्रालय के नोडल समन्वय अभिकरण के रूप में, विदेश मंत्रालय की सहमति से कृत्य करना ।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा से सुसंगत क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान और डिजाइन, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन के कार्यक्रम तैयार करना और उनका निष्पादन करना ।

5. विभाग के अभिकरणों, प्रयोगशालाओं, स्थापनों, रेजों, प्रसुविधाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का निर्देशन और प्रशासन ।

6. वैमानिकी विकास अभिकरण ।

7. सैनिक विमानों, उनके उपकरण और यान सामग्रियों की उड़ान अनुकूलता डिजाइन के प्रमाणीकरण से संबंधित सभी विषय ।

8. विभाग की कार्यवाहियों से सृजित तकनीक के परीक्षण और अंतरण से संबंधित सभी विषय।

9. रक्षा मंत्रालय द्वारा अर्जित किए जाने के लिए प्रस्थापित सभी हथियार प्रणालियों और संबंधित तकनीकों के अर्जन और मूल्यांकन कार्रवाइयों का वैज्ञानिक विश्लेषण, समर्थन तथा उनमें भाग लेना ।

10. सशस्त्र सेवाओं के लिए उपकरण और सामग्रियों का विनिर्माण कर रहे या विनिर्माण करने की प्रस्थापना कर रहे उत्पादन एककों और उपक्रमों द्वारा तकनीक के आयात के तकनीकी और बौद्धिक ज्ञान गुणधर्म के पहलुओं के बारे में सलाह देना ।

11. पेटेन्ट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 35 के अधीन किए गए संदर्भ का निपटारा ।

12. राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहलुओं की बाबत अध्ययन और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए व्यक्तियों, संस्थाओं और निगमित निकायों को वित्तीय तथा अन्य सामग्री संबंधी सहायता ।

13. राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में विदेश मंत्रालय के परामर्श से, सभी विषय जिसमें निम्नलिखित भी है:

(क) अन्य देशों के अनुसंधान संगठनों, और अंतर-सरकारी अभिकरणों, विशेष रूप से उनसे संबंधित, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी पहलुओं से संबंधित है, संबंधों की बाबत विषय;

(ख) विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारतीय वैज्ञानिक और तकनीकविदों को विदेशी छात्रवृत्तियों और प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए विदेशों में विश्वविद्यालयों, शैक्षिक और अनुसंधान उद्देश्य-जन्य संस्थाओं या निगमित निकायों के साथ व्यवस्था करना ।

14. विभाग के बजट के नामेखाते संकर्मों का निष्पादन और भूमि का कय ।

15. विभाग के नियंत्रण के अधीन कार्मिकों संबंधी सभी विषय ।

16. विभाग के बजट के नामेखाते सभी प्रकार की सामग्रियों, उपकरणों और सेवाओं का अर्जन ।

17. विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरियां ।

18. भारत सरकार के किसी अन्य ऐसे मंत्रालय, विभाग, अभिकरण के साथ, जिनके कार्यों का राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं पर प्रभाव है, करारों या व्यवस्थाओं के माध्यम से विभाग को सौपे गए और विभाग द्वारा स्वीकार किए गए कोई अन्य कार्य ।

## विनिवेश मंत्रालय

1. केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपकमों से केन्द्रीय सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मामले ।

2. विनिवेश के तौर-तरीकों, जिसके अंतर्गत पुनर्गठन भी है, के बारे में विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर निर्णय ।

3. विनिवेश संबंधी निर्णयों का कार्यान्वयन, जिसके अंतर्गत सलाहकारों की नियुक्ति, शेयरों का कीमत निर्धारण और विनिवेश की अन्य शर्तें भी हैं ।

4. विनिवेश आयोग ।

5. केवल सरकार की इक्विटी के विनिवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम ।

## पर्यावरण तथा वन मंत्रालय

1. पर्यावरण और परिस्थिति-विज्ञान, जिसमें तटीय समुद्र मेनग्रोवों और प्रवाल भित्तियों का पर्यावरण शामिल है, लेकिन खुले सागर में समुद्री पर्यावरण शामिल नहीं है ।

2. पर्यावरण अनुसंधान और विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना और जागरूकता ।

3. पर्यावरणीय स्वास्थ्य ।

4. पर्यावरणीय संघात निर्धारण ।

5. संरक्षण, प्रबंध और वनरोपण के लिए वन विकास अभिकरण तथा संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम ।

6. प्राकृतिक संसाधनों, विशिष्टतया वन, वनस्पति, जीवजन्तु, पारिस्थितिकी-प्रणालियों, आदि का सर्वेक्षण और अन्वेषण ।

7. जैव-विविधता संरक्षण, जिसके अंतर्गत इसके झील और छम्ब क्षेत्र (वेटलैण्ड) भी है ।

8. नदियों, के संरक्षण, विकास प्रबंध और विकास प्रदूषण का उपशमन, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भी है ।

9. वन्य जीव संरक्षण परिरक्षण/संरक्षण, योजना, अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और ज्ञान, जिसके अंतर्गत परियोजना बाघ तथा परियोजना हाथी भी है ।

10. पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीवों से संबंधित विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता ।

11. भारतीय वनस्पति-विज्ञान सर्वेक्षण तथा वनस्पति-विज्ञान गार्डन ।

12. भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण ।

13. प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय ।

14. जीव मंडल रिजर्व कार्यक्रम ।

15. राष्ट्रीय वन नीति और देश में सामाजिक वानिकी सहित वानिकी विकास ।

16. अंडमान और निकोबार द्वीप में वन और वन प्रशासन से संबंधित सभी मामले ।

17. भारतीय वन सेवा ।

18. वन्य जंतुओं का परिरक्षण तथा वन्य पक्षियों और जीव जंतुओं का संरक्षण ।

19. मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान तथा प्रशिक्षण, जिसके अंतर्गत वानिकी में उच्च शिक्षा भी है ।

20. पदमाजा नायडू हिमालयन प्राणि-विज्ञान पार्क ।

21. वानिकी विकास स्कीमों को वित्तीय सहायता ।

22. भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर ।

23. वन-रोपण और पारिस्थितिकी विकास, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय वन-रोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड भी होगा ।

24. मरुस्थल और मरुस्थलीकरण ।

25. भारतीय वन सर्वेक्षण ।

26. भारतीय जैव-विविधता संस्थान, ईटानगर ।

27. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।

28. जी0बी0 पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान ।

29. भारतीय वन्य जीव संस्थान और भारतीय वन्य जीव बोर्ड ।

30. भारतीय वन प्रबंध संस्थान ।

31. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय प्राणी उद्यान भी है ।

32. भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ।

33. अंडमान और निकोबार द्वीप वन और वन-रोपण विकास निगम लिमिटेड ।

34. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण ।

35. कांजीहौस और पशु अतिचार से संबंधित मामले ।

36. गौशाला और गौसदन ।

37. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) ।

38. राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995 (1995 का 27) ।

39. राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 22) ।

40. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) ।

41. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 (1977 का 36) ।

42. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) ।

43. भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) ।

44. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) ।

45. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) ।

46. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) ।

47. [illegible] अधिनियम, 1991 (1991 का 6) ।

## विदेश मंत्रालय

1. वैदेशिक मामले ।

2. विदेशी राज्यों एवं राष्ट्रमंडल देशों के साथ संबंध ।

3. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ।

4. भारत में विदेशी राजनयिक और कौसलीय अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों और उसके विशेषज्ञता प्राप्त अभिकरणों से संबंधित सभी मामले ।

5. पासपोर्ट और वीजा, जिनके अंतर्गत भारत में प्रवेश के लिये वीजाओं का प्रदान या पृष्ठांकन करना नहीं आता, किन्तु इसके अंतर्गत व्यतिकार (दक्षिण अफ्रीका) नियम, 1944 के अधीन अभारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकियों को प्रवेश अनुज्ञा-पत्रों का प्रदान करना और, मिशनरियों को छोड़कर, श्रीलंका के राष्ट्रिकों के लिए प्रवेश वीजाओं का प्रदान करना आता है ।

6. अपराधियों और अभियुक्त व्यक्तियों का भारत से विदेशों और राष्ट्रमंडल देशों को और विदेशों और राष्ट्रमण्डल देशों से भारत को प्रत्यर्पण तथा प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) का साधारण प्रशासन और राज्य-क्षेत्रातीतता ।

7. वैदेशिक तथा राष्ट्रमंडल मामलों से संबंधित राज्य कारणों से भारत में निवारक निरोध ।

8. विदेशों और राष्ट्रमंडल राज्यों के राष्ट्रिकों का भारत से संप्रत्यावर्तन और विदेशों और राष्ट्रमंडल देशों के भारतीय राष्ट्रिकों का भारत को विवासन और संप्रत्यावर्तन ।

9. दक्षिण अफ्रीका संघ या अन्य किसी देश से, जिस पर व्यतिकर अधिनियम, 1943 (1943 का 9) लागू होता हो, भारत में आप्रवासन ।

10. सभी कौसलीय कृत्य ।

11. भारत से चीन के तिब्बत क्षेत्र में जाने वाले सभी व्यापारियों और तीर्थ-यात्रियों की यात्रा का प्रबंध।

12. विभिन्न स्कीमों के अधीन विदेशी छात्रों को भारत में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति ।

13. विदेशी शरणार्थियों को तथा जिन लोगों ने विदेशों में सेवाएं की हैं उनके वंशजों को दी जाने वाली राजनीतिक पेंशनें ।

14. विदेशी तथा राष्ट्रमंडलीय अतिथियों एवं राजनयिक कॉउन्सिलीय प्रतिनिधियों से संबंधित समारोह कार्य ।

15. फ्रांस और पुर्तगाल के साथ संबंधों के संदर्भ में पांडिचेरी, गोवा, दमन और दीव विषयक मामले।

16. भारत के साथ विशेष संधि-संबंधों वाले राज्यों जैसे भूटान के साथ संबंध ।

17. हिमालय अभियान; ऐसे संरक्षित क्षेत्रों, जिनका संबंध गृह मंत्रालय से है, से भिन्न, संरक्षित क्षेत्रों में यात्रा करने के लिए विदेशियों को अनुज्ञा ।

18. संयुक्त राष्ट्र विशेषता प्राप्त-अभिकरण और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन ।

19. भारतीय विदेश सेवा ।

20. भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' ।

21. विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान ।

22. विदेश प्रचार ।

23. विदेशों और राष्ट्रमंडल देशों के साथ राजनीतिक संधियां, करार और अभिसमय ।

24. (क) भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं, जिनमें हज समिति अधिनियम, 1959 (1959 का 51) तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों, और भारतीय तीर्थयात्री पोत नियम, 1933 का प्रशासन भी है, तथा भारत से पाकिस्तान स्थित धर्म-स्थानों को और पाकिस्तान से भारत स्थित धर्म-स्थानों को आने-जाने वाले तीर्थ यात्रीदल ।

(ख) 1955 के पंत-मिर्जा करार के निर्बधंनों के अनुसार, पाकिस्तान के गैर-मुस्लिम धर्म-स्थानों और भारत में मुस्लिम धर्म-स्थानों का संरक्षण और परिरक्षण ।

25. अपहृत व्यक्ति (प्रत्युद्धरण और प्रत्यावर्तन) ।

26. पड़ोसी देशों में अल्प-संख्यक समुदायों से संबंधित प्रश्न ।

27. बर्मा, मलाया, आदि से निष्कांतों को 1942-47 के दौरान दिए गए उधारों की वसूली तथा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जिन शरणार्थियों को भारत में शरण दी गई थी उनसे संबंधित अवशिष्ट कार्य।

28. युद्ध की स्थिति के प्रारंभ अथवा समाप्त होने के बारे में अधिसूचना ।

29. वैदेशिक अधिकारिता ।

30. भारत सरकार का आतिथ्य अनुदान ।

31. भारत के भू-सीमान्तों का सीमांकन ।

32. भारत की भू-सीमाओं पर सीमा छापे और घटनाएं ।

33. भारत से होकर जाने वाले विदेशी, सिविल और सैनिक वायुयानों की गैर-अनुसूचित चार्टर उड़ानों के लिए राजनयिक उड़ान निर्बाधन ।

34. समुद्र विधि, जिसके अंतर्गत भारतीय राज्यक्षेत्रीय समुद्र, संलग्न क्षेत्र महाद्वीपीय मग्नतट भूमि तथा अनन्य आर्थिक परिक्षेत्र (अ.आ.प.) से संबंधित मामले, खुले समुद्रों के संबंध में उत्पन्न होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रश्न, जिसके अंतर्गत मछली पकड़ने के अधिकार भी है; खुले समुद्रों या आकाश में किए गए जल दस्युताओं और अपराधों, स्थल या खुले समुद्रों अथवा आकाश में किए गए संप्रभुता संपन्न राज्यों की विधि के विरुद्ध अपराध, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सतह क्षेत्र तथा प्राधिकरण से संबंधित विधिक मामले ।

35. कोलम्बो योजना के अधीन भारत द्वारा नेपाल की सरकार को सहकारी आर्थिक विकास के लिए दी गई आर्थिक और तकनीकी सहायता ।

36. जिन स्टोरों का क्रय, निरीक्षण और उन्हें रवाना करने का कार्य किसी साधारण या किसी असाधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्य प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित किया गया है, उनसे भिन्न स्टोरों का विदेश से केन्द्रीय सरकार के लिए क्रय, निरीक्षण और रवाना करने का कार्य ।

37. नेपाल, भूटान और बंगलादेश को ऋण के अनुदान और पावनों से संबंधित सभी मामले ।

38. विशेष राष्ट्रमण्डलीय अफ्रीकन सहायता योजना कार्यक्रम के अधीन अफ्रीकन देशों को भारत द्वारा दी गई तकनीकी सहायता ।

टिप्पण: राष्ट्रमण्डल देशों में उनके अंतर्गत ब्रिटिश उपनिवेश, संरक्षित राज, और न्यास राज्यक्षेत्र आते है ।

39. मानव अधिकार :

(क) विदेश में मानव अधिकार संगठनों से पारस्परिक प्रभाव;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं, संधियां, अभिसमय और सम्मेलन; संयुक्त राष्ट्र और उसके अन्य विशिष्ट अभिकरणों और संगठनों से प्राप्त निर्देश;

(ग) संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, जिनका भारत एक पक्षकार राज्य है, के अधीन अपेक्षित रिपोर्टिंग दायित्वों का, संबद्ध मंत्रालयों के समन्वय से कार्यान्वयन ।

टिप्पण: इन कृत्यों का प्रयोग विदेश मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय के निकट समन्वय से किया जाएगा, जो कि नीति और मानवाधिकारों से संबंधित सभी मामलों के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय होगा ।

40. विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ संबंध, अन्य विभागों को विनिर्दिष्टतया आबंटित प्रविष्टियों को छोड़कर ।

41. भारतीय विश्व कार्य परिषद ।

## वित्त मंत्रालय

### क. आर्थिक कार्य विभाग

#### I. विदेशी मुद्रा प्रबंध

1. राजस्व विभाग के अधीन वर्णित प्रवर्तन कार्य से भिन्न, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) का प्रशासन, तथा आतंकवादी कार्यों के वित्त-पोषण से निपटने की बाबत सभी विषय ।

2. रुपए की विनिमय दर संबंधी नीति ।

3. विदेशी मुद्रा स्रोतों का प्रबंधन, जिसमें विदेशी मुद्रा की दृष्टि से आयातों की प्रस्थापनाओं की संवीक्षा भी सम्मिलित है ।

4. विदेशी तथा अनिवासी भारतीय विनिधान (औद्योगिक तथा सेवा परियोजनाओं के प्रत्यक्ष विदेशी तथा अनिवासी भारतीय विनिधान को छोड़कर) तथा सरकारी और मूल संगठनों में विदेशी अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्तियों का योगदान ।

5. भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी विनिधान ।

6. विदेशों से वाणिज्यिक उधार लेने संबंधी मामले, जिसमें उसके निबंधन और शर्तें भी सम्मिलित है ।

7. स्वर्ण और चांदी संबंधी मामले ।

8. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रियों, राज्य विधान मंडलों/संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों और राज्य सरकार के अधिकारियों की विदेशी यात्रा के लिए अनुमोदन ।

9. विदेशी ऋण का प्रबंध ।

## II. आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता

10. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले :

(क) भारत विकास फोरम;

(ख) विदेशी राष्ट्रों, विशेष अभिकरणों, गैर-सरकारी बुनियादी अभिकरणों और स्वैच्छिक निकायों से ऋण, उधार और अनुदान;

(ग) बहु-पक्षीय अभिकरणों से ऋण, उधार और अनुदान;

(घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निकासियां और उधार;

(ड.) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से प्राइवेट सेक्टर वित्तपोषण संबंधी नीति ।

11. निम्नलिखित के अधीन भारत द्वारा प्राप्त तकनीकी और आर्थिक सहायता :

(क) कोलम्बो योजना की तकनीकी सहकारिता स्कीम;

(ख) संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता प्रशासन कार्यक्रम;

(ग) विभिन्न विदेशी राष्ट्रों, विशेष अभिकरणों, गैर-सरकारी निकायों से तकनीकी सहायता के तदर्थ प्रस्ताव;

(घ) संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय ।

12. कोलम्बो योजना की तकनीकी सहकारिता स्कीम के अधीन कोलम्बो योजना के सदस्य देशों को भारत द्वारा दी गई तकनीकी सहायता ।

13. कोलम्बो योजना परिषद् और योजना के परामर्शदात्री समिति के अधिवेशनों से संबंधित सभी मामले ।

14. नेपाल, भूटान और बंगला देश को छोड़कर, अन्य देशों को भारत सरकार द्वारा दिए गए उधारों से संबंधित सभी मामले ।

15. विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों से भारत को प्राप्त होने वाली या उनको दी जाने वाली तकनीकी सहायता, उनके सिवाय जिनका संबंध किसी अन्य विभाग को आबंटित विषयों से हो ।

16. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू0एन0डी0पी0) से संबंधित सभी मामले, जिनमें ऐसे कार्यक्रम या परियोजनाएं भी सम्मिलित है जिन्हें यू0एन0डी0पी0 बजट से निधि प्रदान की गई है ।

17. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (वि.नि.सं.बो.) ।

18. यूनाइटेड नेशन्स फण्ड फार पोपुलेशन एक्टीविटीज (यू0एन0एफ0पी0ए0) से संबंधित और संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरणों तथा राष्ट्र संघ के अन्य निकायों के अंशदानों से संबंधित नीति संबंधी मामले ।

19. (यू0एन0वी0 के अंतर्गत बहिर्गामी वालंटियरों के सिवाय) यूनाईटेड नेशन्स वालंटियर्स सहित भारत में विदेशी वालंटियर कार्यक्रम से संबंधित सभी विषय ।

20. संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों द्वारा सभी वित्तपोषण ।

21. राष्ट्र मंडल तकनीकी सहकारिता निधि (सी.एफ.टी.सी.)

## III. घरेलू वित्त

22. निम्नलिखित से संबंधित सभी विषय :

(क) करेंसी और सिक्का निर्माण, जिसके अंतर्गत उसका डिजाइन भी है;

(ख) प्रतिभूति और करेंसी मुद्रण करने वाले मुद्रणालय, सिक्यूरिटी पेपर मिलें और टकसालें, इसके अंतर्गत परख विभाग और चांदी परिष्करणी, सोना परिष्करणी और स्वर्ण संग्रहण -सह-परिदान केन्द्र भी हैं;

(ग) करेंसी नोट कागज, करेंसी और बैंक नोट तथा सिक्के, जिसके अंतर्गत स्मारक संबंधी सिक्के भी है, डाक लेखन-सामग्री, स्टाम्प और विभिन्न प्रतिभूति प्ररूपों/मदों का उत्पादन और पूर्ति ।

23. (क) प्रतिभूति बाजार और विनिधानकर्ता संरक्षण के विनियमन और विकास के लिए नीतिगत उपाय ।

(ख) पूंजी बाजार से साधन जुटाने के लिए नए विनिधान और प्रतिभूतियां । विनिधान नीति, जिसके अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम की विनिधान नीति भी है ।

24. कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य वैसी ही भविष्य निधियों के विनिधान पैटर्न ।

25. विनिवेश, जिसके अंतर्गत आगम निधि और आस्ति प्रबंध कंपनी भी है, की प्रकिया के बारे में वित्तीय नीति ।

26. कर मुक्त बॉंड संबंधी सभी मामले ।

## IV. बजट

27. अर्थोपाय ।

28. रेल बजट को छोड़कर, केन्द्रीय बजट, जिसमें अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान भी है, तैयार करना और जब किसी राज्य अथवा राज्य क्षेत्र के संबंध में सांविधानिक तंत्र की विफलता के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा प्रवर्तनशील हो, तो ऐसे राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र का बजट तैयार करना ।

29. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त संस्थानों के बाजार उधार कार्यक्रम ।

30. केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार ऋण का लिया जाना और खजाना हुंडियों का निर्गमन और उन्मोचन ।

31. लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) का प्रशासन ।

32. केन्द्रीय सरकार के उधार लेने और ऋण देने के संबंध में ब्याज दरों का नियत किया जाना ।

33. लेखा और लेखा परीक्षण प्रक्रिया विषयक नीति, जिसके अंतर्गत संव्यवहारों का वर्गीकरण भी है ।

34. राज्यों के विभाजन, फेडरल वित्तीय एकीकरण और पुनर्गठन संबंधी वित्तीय मामले ।

35. भारतीय आकस्मिकता निधि और भारतीय आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (1950 का 49) का प्रशासन ।

36. केन्द्रीय सरकार की बजट संबंधी स्थिति की मानीटरिंग ।

37. स्टर्लिंग पेंशन - यू0के0 सरकार के उत्तरदायित्व का अंतरण और अंतर्ग्रस्त दायित्त्व की वास्तविक गणना ।

38. लोक भविष्य निधि स्कीम ।

39. वित्त आयोग ।

40. पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं के स्रोत ।

41. केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय निक्षेप स्कीम, विशेष निक्षेप स्कीमें, अनिवार्य निक्षेप स्कीमें और अन्य निक्षेप स्कीमें ।

42. लघु बचतें, जिनके अंतर्गत राष्ट्रीय बचत संगठन का प्रशासन भी है ।

43. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्त्तव्य और शक्तियां ।

44. संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन संसद के समक्ष लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पेश करना ।

45. वित्तीय आपात ।

46. सरकारी गारंटियां ।

47. भारतीय पूर्त विन्यास कोषाध्यक्ष के कृत्य ।

## V. बीमा

48. साधारण बीमा से संबंधित नीति; बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) का प्रशासन; और संबंधित मामले, साधारण बीमा और पब्लिक सेक्टर में पुनर्बीमा कंपनियां ।

49. जीवन बीमा से संबंधित नीति; जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) का प्रशासन; और संबंधित मामले, भारतीय जीवन बीमा निगम ।

50. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) का प्रशासन तथा संबद्ध मामले ।

51. उक्त 48 से 50 तक की किसी भी प्रविष्टि की बाबत केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों से संबद्ध मामलों के विषय में केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व ।

## VI. बैंककारी

52. भारतीय बैंकों, चाहे वे राष्ट्रीयकृत हों या नहीं, से संबंधित सभी मामले ।

53. विदेशी बैंक, जहां तक भारत में उनकी संक्रियाओं का संबंध है, से संबंधित सभी मामले ।

54. भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित सभी मामले ।

55. सहकारी बैंककारी से संबंधित सभी मामले ।

56. अखिल भारतीय विकास वित्त संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.), आई.एफ.सी.आई. लिमिटेड, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आई.आई.बी.आई) से संबंधित मामले ।

57. भारतीय आयात-निर्यात बैंक से संबधित मामले ।

58. पोत परिवहन विकास निधि समिति (उत्सादन) अधिनियम, 1986 (1986 का 66) का प्रशासन ।

59. सिंधिया स्टीमशिप नैविगेशन कंपनी संबंधी मामले ।

60. अवसंरचना विकास वित्त निगम (आई.डी.एफ.सी) और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आई.एल.एफ.एस.) से संबंधित मामले ।

61. चिटफंड और निक्षेप स्वीकार करने वाली अन्य गैर-बैंककारी कंपनियां ।

62. भारत में बैंककारी से संबंधित अन्य मामले ।

63. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) संबंधी मामले ।

64. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) का प्रशासन ।

65. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) का प्रशासन ।

66. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के कार्यान्वयन संबंधी मामले ।

67. रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के कार्यान्वयन से संबंधित मामले, जिनके अंतर्गत औद्योगिक वित्त पुनर्संरचना बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) और औद्योगिक वित्तीय पुनर्संरचना अपील प्राधिकरण (ए.ए.आई.एफ.आर.) भी आते हैं ।

68. राष्ट्रीय आवास बैंक संबंधी सभी मामले ।

69. संघ सूची की प्रविष्टि 38, 45 और 46 तथा समवर्ती सूची की प्रविष्टि 9 से संबंधित सभी अन्य कानूनों, विनियमों और अन्य विधियों का प्रशासन ।

70. प्रतिभूतिकरण और पुरोबंध संबंधी मामले ।

71. विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 (1992 का 27) का प्रशासन ।

72. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) और 1980 (1980 का 40), बैंकर्स बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 18) तथा बैंक सेवा आयोग अधिनियम, 1984 (1984 का 44) का प्रशासन ।

73. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) का प्रशासन ।

74. भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1953 (1953 का 54) ।

75. राज्य कृषि उधार निगम अधिनियम, 1968 (1968 का 60) का प्रशासन ।

76. लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 (1983 का 48) का प्रशासन ।

77. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का 47) का प्रशासन ।

78. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) का प्रशासन ।

## VII. भारतीय आर्थिक सेवा प्रबंध

79. भारतीय आर्थिक सेवा प्रबंध- उसका काडर और उससे संबंधित सभी मामले ।

## VIII. आर्थिक सलाह

80. उन मामलों पर सलाह, जो आर्थिक प्रबंध, जिसके अंतर्गत मूल्य भी हैं, के आंतरिक और बाह्य पहलुओं से संबंधित है ।

81. ऋण, राज-वित्त और मुद्रा संबंधी नीतियां ।

## IX. प्रकीर्ण अधिनियम

82. सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) ।

83. भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20, जो विनिधानों का संव्यवहार करती है ।

84. धातु सिक्का अधिनियम, 1889 (1889 का 1) ।

85. पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) ।

86. भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) ।

87. भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 1920 (1920 का 10) ।

88. करेंसी अध्यादेश, 1940 (1940 का 4) ।

89. अंतराष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक अधिनियम, 1945 (1945 का 00) ।

90. वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) ।

91. सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) ।

92. अनिवार्य निक्षेप स्कीम अधिनियम, 1963 (1963 का 21) ।

93. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) ।

94. वैध निविदा (अंतरलिखित नोट) अधिनियम, 1964 (1964 का 28) ।

95. एशियाई विकास बैंक अधिनियम, 1966 (1966 का 18) ।

96. लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23) ।

97. छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम, 1971 (1971 का 52) ।

98. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का 56) ।

99. अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1974 का 37) ।

100. अफ्रीकी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 1) ।

101. अफ्रीकी विकास बैंक अधिनियम, 1983 (1983 का 13) ।

102. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) ।

103. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) का प्रशासन ।

104. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) ।

105. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (प्रास्थिति, उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 (1958 का 42) ।

## ख. व्यय विभाग

1. वित्तीय नियम और विनियम और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और कार्यालयों से संबंधित वित्तीय मंजूरियां, जो नियमों द्वारा या किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों द्वारा प्रत्यायोजित या प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत नहीं आती हैं।

3. मितव्ययिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, सरकारी स्थापनाओं के कर्मचारीवृन्द की संख्या का पुनर्विलोकन ।

4. लागत-लेखा विषयों पर मंत्रालयों और सरकारी उपक्रमों को सलाह और उनकी ओर से लागत अन्वेषण कार्य करना ।

5. भारतीय लेखा - परीक्षा और लेखा विभाग ।

6. लेखा महानियंत्रक से संबंधित मामले जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) संघ अथवा राज्य सरकारों से संबंधित सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धांत और लेखा-प्ररूप तथा उनसे संबंधित नियम और नियम-पुस्तिकाओं का निर्माण अथवा संशोधन करना;

(ख) रिजर्व बैंक के पास संघ सरकार के रोकड़ अतिशेष का, सामान्य रूप से, और सिविल मंत्रालयों अथवा विभागों से संबंधित रिजर्व निक्षेपों का, विशेष रूप से समाधान;

(ग) केन्द्रीय सिविल लेखा कार्यालयों द्वारा लेखाकरण के समुचित मानकों के प्रतिपालन का निरीक्षण;

(घ) मासिक लेखों का समेकन, राजस्व वसूली की प्रवृत्तियों तथा व्यय इत्यादि के महत्वपूर्ण लक्षणों की समीक्षा तैयार करना तथा संघ सरकार के मामलों में वार्षिक प्राप्तियों और संवितरणों को अपने-अपने शीर्षों के अंतर्गत दर्शाते हुए वार्षिक लेखे (सारांश, सिविल विनियोजन लेखों सहित) तैयार करना;

(ड) केन्द्रीय खजाना नियमों और केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्ति और संदाय नियम), 1983 का प्रशासन;

(च) सिविल मंत्रालयों अथवा विभागों में प्रबंध लेखाकरण प्रणाली लागू करने में, समन्वयन और सहायता;

(छ) समूह 'क' (भारतीय सिविल लेखा सेवा) और समूह 'ख' केन्द्रीय सिविल लेखा कार्यालयों के अधिकारियों का काडर प्रबंध;

(ज) समूह 'ग' और 'घ' से संबंधित केन्द्रीय सिविल लेखा कर्मचारीवृंद से संबंधित मामले;

(झ) केन्द्रीय सिविल पेंशन भोगियों, स्वतंत्रता सेनानियों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, पूर्व-संसद सदस्यों और पूर्व राष्ट्रपतियों के संबंध में पब्लिक सेक्टर के बैंकों (पी.एस.बी.) के माध्यम से पेंशन का संवितरण ।

7. इनके लिए केन्द्रीय सहायता देना : राज्य की आर्थिक योजना, राज्य के आपदा राहत कोष का केन्द्रीय अंश, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से सहायता, उन्नति अनुदान और ग्रामीण/शहर स्थानीय निकायों के लिए अनुदान और आनुक्रमिक वित्त आयोगों द्वारा सिफारिश किए गए अन्य अनुदान ।

8. राज्य वित्तों का विश्लेषण, राज्यों की दिन-प्रतिदिन की वित्तीय समस्याएं और राज्यों के राजकोषीय सुधार कार्यक्रम ।

9. केन्द्रीय मंत्रालयों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों (पी.एस.यू.) की वार्षिक/पंचवर्षीय योजना तैयार करने में भागीदारी । योजना के वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों (पी.एस.यू.) के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का निर्धारण ।

10. वित्तीय और आर्थिक प्रभाव रखने वाले केन्द्रीय और राज्य विधान की संवीक्षा ।

11. केन्द्रीय मंत्रालयों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के प्लान निवेश/व्यय प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन । व्यय वित्त समिति (ई0एफ0सी0)/लोक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) प्रक्रियाओं और लोक निवेश बोर्ड के लिए सचिवालयीय कार्य संबंधी मामले ।

12. केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के पूंजी पुनर्संरचना/पुनर्जीवीकरण प्रस्तावों का मूल्यांकन/अनुमोदन ।

ग. राजस्व विभाग

1. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले :

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड;

(ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।

2. राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान को सहायता अनुदान ।

3. विनिमय-पत्रों, चैकों, वचनपत्रों, वहन-पत्रों, साख-पत्रों, बीमा-पालिसियों, शेयरों का अंतरण, डिबेंचरों, परोक्ष-पत्रों और रसीदों पर स्टाम्प शुल्क ।

4. आयकर (आयकर अपील अधिकरण संबंधी प्रश्नों को छोड़कर), निगम कर, पूंजी अभिलाभ कर और सम्पदा शुल्क, धन कर, व्यय कर, और दान कर संबंधी सभी प्रश्न और रेल यात्री भाड़ा अधिनियम संबंधी प्रश्न भी ।

5. बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) का प्रशासन ।

6. संघ राज्य क्षेत्रों में उत्पाद शुल्क का प्रशासन, अर्थात् निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले:

(क) मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक लिकर;

(ख) अफीम, केनेबिस (भारतीय भांग) और अन्य स्वापक औषधियां और स्वापक पदार्थ ।

7. औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16) का प्रशासन ।

8. अफीम पोस्त की खेती, और ऐसी अफीम से अफीम व्युत्पन्नों का विनिर्माण, ऐसी अफीम और अफीम व्युत्पनों का विक्रय और उन पर नियंत्रण के प्रयोग से संबंधित सभी मामले;

9. स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985(1985 का 61) का प्रशासन ।

10. स्वापक औषधियों, मन: प्रभावी पदार्थों और पूर्वगामी रसायनों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों, करारों, नयाचार, आदि से संबंधित सभी मामले, जिनके लिए राजस्व विभाग और इसके अंतर्गत संगठन कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत है, केवल उन मामलों को छोड़कर, जो गृह मंत्रालय को आबंटित मामले है ।

11. सीमा-शुल्क (समुद्र, वायु और भूमि), जिसके अंतर्गत सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) टैरिफ मूल्यांकन, सीमा-शुल्क सहकारिता परिषद, सीमा शुल्क नामपद्धति और ऐसे ही मामले है, आयात और निर्यात किए गए माल पर शुल्क; सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन आयातों और निर्यातों पर प्रतिषेध और निर्बन्धन; और सीमा शुल्क टैरिफ के निर्वचन से संबंधित सभी मामले ।

12. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी मामले, जिनके अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) और सेवा कर प्रशासन भी है ।

13. विक्रय कर :

(क) विक्रय कर विधियां (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1956 (1956 का 7) का प्रशासन;

(ख) अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रयों पर कर का उद्ग्रहण-केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के प्रशासन में उत्पन्न समस्याएं;

(ग) संविधान के अनुच्छेद 286(3) के अधीन अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के माने जाने वाले माल की घोषणा, उन शर्तों और निर्बन्धनों का अधिकथन जिसके अध्यधीन वे राज्य विधियां होंगी जो उन पर कर उद्ग्रहण के लिए उपबंध करती है;

(घ) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क द्वारा विक्रय कर के प्रतिस्थापन से संबंधित सभी प्रश्न, जिनके अंतर्गत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्त्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) का प्रशासन है;

(ड) राज्यों में विक्रय कर के उद्ग्रहण से संबंधित वे सभी विधेयक, आदि जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेशों, सिफारिशों या अनुमति के लिए आएं;

(च) संघ राज्य क्षेत्रों में विक्रय कर से संबंधित विधायी मामले;

(छ) राज्यों के गन्ना उपकर उदग्रहण के अविधिमान्य किए जाने से उत्पन्न समस्याएं, जिनके अंतर्गत ऐसे उद्ग्रहणों का विधिमान्यकरण आता है ।

14. अधीनस्थ संगठन:

(क) आयकर विभाग;
(ख) सीमा शुल्क विभाग;
(ग) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग; और
(घ) स्वापक पदार्थ विभाग (इसके अंतर्गत स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो नहीं है) ।

15. विदेशी मुद्रा के संरक्षण या संवर्धन और तस्करी क्रियाकलापों के निवारण और उससे संबंधित मामलों के प्रयोजनों के लिए निवारक निरोध ।